



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-26072024-255771
CG-MH-E-26072024-255771

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08]
No. 08]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 25, 2024/श्रावण 3, 1946
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 25, 2024/SHRAVANA 3, 1946

खान मंत्रालय

(भारतीय खान ब्यूरो)

अधिसूचना

नागपुर, 24 जुलाई, 2024

फा. सं. टी-43010/2/2024-टीएस-आईबीएम-एचक्यू.—खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 2017 के नियम 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के प्रयोजन हेतु भारतीय खान ब्यूरो के खान नियंत्रक एवं क्षेत्रीय खान नियंत्रक के क्षेत्राधिकार की सीमाओं को विनिर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना संख्या टी-43010/सीजीबीएम/91, दिनांक 19 फरवरी, 1998 को, जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 1, दिनांक 07 मार्च 1998 में हुआ, एतद्द्वारा निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:-

i) भारतीय खान ब्यूरो के खान नियंत्रक और क्षेत्रीय खान नियंत्रक के क्षेत्राधिकार को विनिर्दिष्ट करने वाली तालिका में, प्रथम कॉलम में 'खान नियंत्रक (दक्षिणांचल)' के आंचलिक कार्यालय से संबंधित प्रविष्टि में, द्वितीय कॉलम में 'हैदराबाद क्षेत्र' के क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित प्रविष्टि तथा तीसरे और चौथे कॉलम में संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित प्रविष्टियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

क्षेत्रीय कार्यालय	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला
(4) हैदराबाद क्षेत्र:	तेलंगाना	सभी जिले
	महाराष्ट्र	लातूर, नांदेड और उस्मानाबाद
(5) विजयवाड़ा क्षेत्र:	आंध्र प्रदेश	सभी जिले

2. उपर्युक्त, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि भारतीय खान ब्यूरो के खान नियंत्रक और क्षेत्रीय खान नियंत्रक के इन क्षेत्राधिकारों को सभी की सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 1 में प्रकाशित किया जाए।

संजय लोहिया, महानियंत्रक (प्रभारी)

MINISTRY OF MINES

(Indian Bureau of Mines)

NOTIFICATION

Nagpur, the 24th July, 2024

F. No. T-43010/2/2024-TS-IBM-HQ.—In exercise of the powers conferred by Rule 66 of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017, the Notification No. T-43010/CGBM/91, dated the 19th February, 1998 published in the Gazette of India, Part III, Section 1, dated the 7th March 1998, specifying the limits of territorial jurisdiction of the Controller of Mines and the Regional Controller of Mines of Indian Bureau of Mines for the purposes of the said rules is hereby amended as follows, namely:—

(i) In the table specifying the territorial jurisdiction of the Controller of Mines and the Regional Controller of Mines of Indian Bureau of Mines, in the entry related to Zonal Office of 'Controller of Mines (South Zone)' in the first column, for the entry related to Regional Office of 'Hyderabad Region' in the second column and corresponding entries in the third and fourth columns, the following entries shall be substituted, namely:—

Regional Office	State / UT	District
(4) Hyderabad Region:	Telangana	All districts
	Maharashtra	Latur, Nanded and Osmanabad
(5) Vijaywada Region:	Andhra Pradesh	All districts

2. The above shall come into force with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

ORDER

Ordered that these territorial jurisdictions of the Controller of Mines and the Regional Controllers of Mines of Indian Bureau of Mines, be published in the Gazette of India, Part III Section 1 for general information of all.

SANJAY LOHIYA, Controller General (I/C)